भारतीय पथ-कर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901

(1901 का अधिनियम संख्यांक 2)[1]

[22 फरवरी, 1901]

सेना [2][या वायु सेना] के व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को पथ-करों से छूट देने से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

[3]* * * * *

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय पथ-कर [4][(सेना और वायु सेना)] अधिनियम, 1901 है ।

[5][(2) इसका विस्तार [6]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।]

(3) यह 1 अप्रैल, 1901 को प्रवृत्त होगा ।

[7][**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "प्राधिकृत अनुचर" पद से आफिसरों, सैनिकों या वायु सैनिकों से भिन्न ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो संबंधित बलों या कोर द्वारा नियोजित हैं या उनकी सेवा में हैं या ऐसे बलों या कोर के किसी आफिसर, सैनिक या वायु सैनिक की सेवा में हैं ;

(ख) "गाड़ी" से रेलों पर उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित किसी यान से भिन्न वहन या कर्षण के लिए कोई यान अभिप्रेत है ;

(ग) "फैरी" के अंतर्गत प्रत्येक ऐसा पुल या ऐसी अन्य वस्तु है, जो फैरी पर पथ-करों का उद्ग्रहण प्राधिकृत करने वाली किसी अधिनियमिति के अर्थ में फैरी है, किन्तु इसमें ऐसी फैरी या अन्य वस्तु नहीं है, जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 3 में "रेल" की परिभाषा में सम्मिलित की गई है ;

[8][(घ) "नियमित बल" पद से सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 3 के खण्ड (xxi) में यथापरिभाषित "नियमित सेना" अभिप्रेत है और इसमें वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 4 के खण्ड (iv) में यथापरिभाषित "वायु सेना" भी है ;]

(ङ) "घोड़ा" के अंतर्गत खच्चर या किसी भी वर्णन का कोई पशु है, जिसका भार ढोने या खींचने के लिए या व्यक्तियों के वहन के लिए उपयोग किया जाता है ;

(च) "अधिनियमित कोर" पद से [9][नियमित बल या] [10][प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर] जो भारत में केन्द्रीय सरकार [11]*** के प्राधिकार के अधीन निर्माण किया गया है तथा बनाए रखा गया है उससे भिन्न कोई बल या कोई ऐसा अन्य बल अभिप्रेत है, जो इस निमित्त, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

---

[1] इस अधिनियम का विस्तारण—

(1) बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर ;

(2) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर :

(3) 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर ;

(4) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप पर ;

किया गया है ।

[2] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा जोड़ा गया ।

[3] उद्देशिका का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 1942 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा "(सेना)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1942 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा मूल धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंत:स्थापित ।

[10] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "सहायक बल (भारत) या भारतीय प्रादेशिक बल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[11] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव" शब्दों का लोप किया गया ।

(छ) "भारतीय रिजर्व बल" पद से भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888 (1888 का 5) द्वारा गठित बल अभिप्रेत है ; और इसमें भारत के सेना आफिसर रिजर्व या [1][नियमित आफिसर रिजर्व] के आफिसर तथा [2]*** भारतीय वायु सेना वोलन्टीयर रिजर्व के सदस्य भी आते हैं, जब वे, यथास्थिति, सेना या वायु सेना विधि के अधीन हों ;

(ज) "उतरने का स्थान" में कोई बंगसार, घाट, तट, स्थान, जेटी और मंच, चाहे वह स्थिर हो, या प्लावमान, आता है ;

(झ) "लोक प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार [3]*** या कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इंडियन गारन्टीड रेलवेज ऐक्ट, 1879 (विक्टो 42 और 43, अध्याय 41) की धारा 4 या भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 51 के अधीन किसी रेल कंपनी द्वारा उद्गृहीत पथ-कर के बारे में जहां तक उसका संबंध है, ऐसी रेल कंपनी भी है ; और

(ञ) "पथ-कर" के अंतर्गत शुल्क, देय, रेट, भाटक, फीस तथा प्रभार है किन्तु इसमें इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32) के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क, माल के आयात पर चुंगी या नगर-शुल्क या किसी ट्राम पर यात्रियों के यातायात के लिए दिया गया किराया नहीं है ।]

3. पथ-कर से छूट—निम्नलिखित व्यक्ति तथा संपत्ति, अर्थात् :—

[4][(क) निम्नलिखित के सभी आफिसर, सैनिक तथा वायु सैनिक—

(i) [5][नियमित बल,]

(ii) कोई अनियमित कोर, [6]***

[6]* * * * * *

(ख) [7][प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर] के सभी सदस्य जब वे कर्तव्य पर हैं या जब वे कर्तव्य पर अग्रसर हो रहे हैं या कर्तव्य से वापस लौट रहे हैं ;

(ग) भारतीय रिजर्व बल के सभी आफिसर, सैनिक तथा वायु सैनिक, जब वे सेवा, प्रशिक्षण या हाजिरी के लिए बुलाए जाने पर अपने निवास-स्थान से अग्रसर होते हैं या जब ऐसी सेवा, प्रशिक्षण या हाजिरी के पश्चात् अपने निवास-स्थान को वापस लौटते हैं ;

(घ) निम्नलिखित के सभी प्राधिकृत अनुचर—

(i) [5][नियमित बल,]

[8][(ii) [प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर,]

(iii) कोई अनियमित कोर, [9]***

[9]* * * *

(ङ) निम्नलिखित के आफिसरों, सैनिकों, वायु सैनिकों या प्राधिकृत अनुचरों के कुटुम्ब के सभी सदस्य—

(i) [5][नियमित बल,] या

(ii) कोई अनियमित कोर,

जब कर्तव्य पर या कूच करने के लिए फौज की किसी टुकड़ी या किसी आफिसर, सैनिक, वायु सैनिक या उसके प्राधिकृत अनुचर के साथ हों,

(च) वे सभी बंदी, जो सेना या वायु सेना के अनुरक्षण में हैं,

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "भारतीय नियमित आफिसर रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "रायल एअर फोर्स वोलन्टीयर रिजर्व और" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या फैडरल रेलवे अथोरिटी" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 1942 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड (क) से (ज) तक के स्थान पर खण्ड (क) से (छ) तक प्रतिस्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टीज रेग्युलर फोर्सेस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा उपखण्ड (ii) में शब्द "या" और उपखण्ड (iii) का लोप किया गया ।
[7] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "सहायक बल (भारत) या भारतीय प्रादेशिक बल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा पूर्ववर्ती उपखण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा उपखण्ड (iii) में शब्द "या" तथा उपखण्ड (iv) का लोप किया गया ।

(छ) सभी गाड़ियां, घोड़े तथा सामान और वे व्यक्ति (यदि कोई हों) जो क्रमश: किसी भी पूर्वगामी खण्डों में छूट प्राप्त व्यक्तियों की गाड़ियां चलाने या सामान ढोने के लिए नियोजित हैं और जब कि ऐसी गाड़ियां, घोड़े, सामान या व्यक्ति उनके साथ हों जिन्हें क्रमश: उन खण्डों में वर्णित परिस्थितियों के अधीन छूट प्राप्त है,]

[1][(ज)] सरकार की या [2][भारतीय] सेना [3][या वायु सेना] सेवा में नियोजित सभी गाड़ियां तथा घोड़े और उसके भारसाधक या उनके साथ जाने वाले सभी व्यक्ति, जब वे इसमें इसके पूर्व इस धारा में वर्णित रूप में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों का वहन कर रहे हैं या जब सामान या भंडार का वहन कर रहे हैं या ऐसे व्यक्ति, समान या भंडार का वहन करने के पश्चात् जब खाली वापस आ रहे हैं ;

[1][(झ)] सभी गाड़ियां तथा घोड़े जब उनका संचलन, सेना [3][या वायु सेना] के प्राधिकारी के आदेशों के अधीन [2][भारतीय] सेना [3][या वायु सेना] सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए हो रहा है ;

[1][(ञ)] फौज की किसी टुकड़ी के साथ जाने वाले सभी पशु जिनका खाद्य के लिए वध किया जाना आशयित है या जो ऐसी फौज की रसद से संबंधित प्रयोजन के लिए रखे गए हैं, और

[1][(ट)] किसी गाड़ी, घोड़ा या पशु के भारसाधक वे सभी व्यक्ति, जिन्हें क्रमश: उन खण्डों में वर्णित परिस्थितियों में छूट प्राप्त है जब वे उन खण्डों में वर्णित परिस्थितियों में उनके साथ जा रहे हैं,

तब उन्हें ऐसे पथ-करों के संदाय से जिनकी किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश या [4][भारत] में किसी विधान-मंडल या अन्य लोक प्राधिकारी के निदेश के आधार पर अन्यथा मांग की जा सकती है, निम्नलिखित दशाओं में छूट होगी—

(i) किसी उतरने के स्थान से या स्थान पर चढ़ने या उतरने, या पोत पर लदाए या उतारे जाने पर ; या

(ii) किसी टर्नपाइक या अन्य सड़क या पुल के ऊपर आने-जाने पर या उसे पार करने पर ; या

(iii) किसी फैरी से पार किए जाने पर :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात उक्त व्यक्तियों या संपत्ति को किसी नहर के साथ-साथ वहन करने में नियोजित किन्हीं नौकाओं, बजरों या अन्य जलयानों को पथ-कर के संदाय से, जिस रीति से अन्य नौकाओं, बजरों या जलयानों को पथ-कर देना पड़ता है, छूट नहीं देगी ।

[5][**स्पष्टीकरण**—खण्ड (घ), (ङ), (छ) और (ज) के अधीन छूट प्राप्त व्यक्तियों या सम्पत्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यक्ति या वह सम्पत्ति संबद्ध बलों, फौज, व्यक्तियों या सम्पत्ति के साथ जा रही है जब भूतपूर्व का संचलन पश्चात्‌वर्ती संचलन के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप है या उस संचलन से संबंधित है चाहे दो संचलनों के बीच की दूरी और समय में अन्तराल कुछ भी हो ।]

4. फौज का तथा चढ़ने या उतरने वाली फौज के सामान, आदि का परिवहन करने वाले जलयानों पर पथ-कर—(1) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी पथ-कर निम्नलिखित के बारे में उद्‌ग्रहणीय नहीं होगा—

(क) फौज के एकमात्र परिवहन के लिए [6][केन्द्रीय सरकार] द्वारा नियोजित कोई जलयान, या

(ख) किसी पत्तन पर चढ़ने वाली या उतरने वाली किसी फौज के घोड़े, सामान या अन्य चीज-बस्त, या

(ग) सरकार की या [2][भारतीय] सेना [3][या वायु सेना] की सेवा में नियोजित किसी पत्तन पर चढ़ाई जाने वाली या उतारी जाने वाली गाड़ियां ।

(2) सभी ऐसे जलयान या फौज, उनके कुटुम्ब, उनके घोड़े, सामान या उनकी अन्य चीज-बस्त, या यथापूर्वोक्त ऐसी किन्हीं गाड़ियों की बाबत, संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी उन्हें चढ़ाने या उतारने के अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, सभी ऐसी समुचित सेवाएं करेगा या वास-सुविधा देगा, जो समय-समय पर [6][केन्द्रीय सरकार] द्वारा अपेक्षित हों और सभी ऐसी सेवाओं या वास-सुविधा के लिए ऐसे निबन्धनों पर तथा ऐसी कालावधियों के लिए संदाय प्राप्त करेगा, जो समय-समय पर [6][केन्द्रीय सरकार] द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श से अवधारित किया जाए ।

5. शास्ति—कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी पथ-कर की मांग करेगा या उसे प्राप्त करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

---

[1] 1942 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड (झ), (ञ), (ट) तथा (ठ) को क्रमश: (ज), (झ), (ञ) तथा (ट) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया है ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मेजेस्ट्री की" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "किसी भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1942 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. प्रतिकर—(1) यदि कोई स्वामी या पट्टेदार या कोई कंपनी, रेल प्रशासन या स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन के कारण उपगत किसी अभिकथित हानि के लिए प्रतिकर का दावा करता है, तो वह दावा [1][केन्द्रीय सरकार] को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे दावे की प्राप्ति कर [2][केन्द्रीय सरकार] [3]*** उस पर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा कि न्यायोचित है और मामले के तथ्यों को अभिनिश्चित करने तथा संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के, यदि कोई हों, निर्धारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निदेश देगी ।

7. नियम—(1) केन्द्रीय सरकार [4]*** इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार *** इस अधिनियम के अधीन पथ-कर के संदाय से छूट के लिए हकदार व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकायों या सम्पत्ति की बाबत दिए जाने वाले पास के प्ररूप का उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि नियम पूर्व प्रकाशन पश्चात् बनाए जाएं ।

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में [5]*** प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर उनका इस प्रकार प्रभाव होगा मानो वे इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित हुए हैं ।

[6][(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

8. निरसन—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

अनुसूची—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] भारत शासन (भारतीय सविधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "तथा सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से स्थानीय सरकार" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या स्थानीय राजपत्र में" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अन्त:स्थापित ।